

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी: - श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

अपील संख्या: 2014/03

दायर दिनांक 07.08.2014

अपीलार्थी		रेसपोडेन्ट
1. चुन्नीदेवी पुत्री रतनाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी खुनखुना हाल निवासी गावंडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. राजेश पुत्र मानाराम 3. हजारीराम पुत्र मानाराम 4. बालीदेवी पुत्री मानाराम 5. गीतादेवी पुत्री मानाराम 6. सीतादेवी पुत्री मानाराम समस्त जाति जाट निवासी गावंडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. डालूराम पुत्र रतनाराम 2. पुरखाराम पुत्र रतनाराम 3. सुरजाराम पुत्र रतनाराम 4. गोविन्दराम पुत्र रतनाराम समस्त जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना 5. तहसीलदार डीडवाना 6. सरपं. ग्राम पंचायत खुनखुना 7. ग्राम पंचायत खुनखुना

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 13.04.2000 खसरा सं0 112, 112/295,
 112/296, 112/297, 112/298, 112/299 सरहद बुडोद एवं जो सरपंच ग्राम
 पंचायत आगुन्ता द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध


उपस्थित :-

1. पक्षकरान

--: निर्णय :-

दिनांक 20.06.2017

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, स्व0 रतनाराम के विधिक एवं हिन्दु रिती रिवाज अनुसार विधिक विवाहित पत्नी अणची देवी थी। स्व0 रतनाराम व स्व0 अणची देवी के सहवास से एक पुत्र डालूराम व दो पुत्रियां अपीलार्थीगण चुन्नीदेवी व बिडदी देवी उत्पन्न हुई मगर बिडदी देवी आज से करीबन 6 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। जिसके जायज वारिसान अपीलार्थीगण सं0 02 ता 06 है। स्व0 झमकु देवी स्व0 रतनाराम की हिन्दु विवाह अधिनियम एवं सामाजिक तौर पर स्व0 रतनाराम की विवाहिता पत्नी नहीं थी तथा न ही स्व0 रतनाराम ने स्व0 झमकु देवी से शादी की थी। मगर राजस्व कर्मचारियों की भूल से नामान्तरकरण सं0 218 में स्व0 रतनाराम के फौतगी म्यूटेशन में स्व0 रतनाराम के जायज पुत्र डालूराम का नामान्तरकरण सही भरा मगर स्व0 झमकु देवी के पुत्रों का नाम भी स्व0 रतनाराम के फौतगी म्यूटेशन में जमीन हडपने की नियत से भरा गया। स्व0 रतनाराम की वैधानिक संतान डालूराम व अपीलार्थीगण चुन्नीदेवी व


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

बिडदी देवी के जायज वारिसान अपीलार्थीगण सं० 02 ता 06 हैं नगर अपीलार्थीगण के नाम से फौतगी म्यूटेशन में इन्ज्राज नहीं होने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।


अपील के आधार-

1. योग्य अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत आगुन्ता ने जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 को फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने में भारी कानूनी एवं व्याख्याती भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।
2. ग्राम पंचायत आगुन्ता ने विधिक द जायज वारिसानों एवं उत्तराधिकारीगण का बिना पता किये तथा इस बिन्दु पर की स्व० अमकु देवी स्व० सताराम की विधिक एवं कानूनी तथा विवाहिता पत्नी है या नहीं इस बिन्दु पर टोस सबुत के अभाव में भी जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 को स्वीकृत कर भारी व्याख्याती भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।
3. योग्य न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत आगुन्ता ने विधि के महत्वपूर्ण तथ्यों की भारी अनदेखी कर कानूनी भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।
4. ग्राम पंचायत आगुन्ता ने प्रथम दृष्टया मानला भी प्रनामित नहीं होते हुए नो सरपंच ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकृत कर कानून की अनदेखी की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।
5. ग्राम पंचायत आगुन्ता ने फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत करते समय विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त नैसर्गिक एवं प्राकृतिक के सिद्धान्तों के विपरित जाकर स्व० अमकु देवी के वारिस एवं उसके पुत्रगण को वारिस मानकर गलत फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत कर भारी कानूनी भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.04.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय दिनांक 13.04.2000 को स्वीकृति फौतगी म्यूटेशन सं० 218 सरपंच ग्राम पंचायत आगुन्ता द्वारा स्वीकृत को निरस्त (अपास्त) कर अपीलार्थीगण व डालूराम के नाम से फौतगी म्यूटेशन करा जाने का आदेश सादर फरमावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोंदरास में पेश हुई। रेस्पोंडेन्ट सं० 01 व 04 उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौका स्थिति की जाँच की थी तथा न ही वारिसान की जांच की तथा न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक त्रुटि है।

अतः म्यूटेशन संख्या 218 दिनांक 13.04.2000 द्वारा ग्रामपंचायत आगुन्ता, खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।


सहायक कलक्टर
डीहवाणा

अपील, संख्या-2014/03
दायर दिनांक 07.08.2014, निर्णय दिनांक 20.06.2017
चुन्नीदेवी बनाम डालूराम बगौराह

--: आदेश :-

अपील अपीलान्त स्वीकार कर सरहद मौजा बुडोद तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 13.04.2000 में पारित ग्राम पंचायत आगुन्ता का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त कर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा रेकर्ड का अवलोकन करते हुए नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की कार्यवाही करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 20.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना